२५।६।१८ अनुलाप अथवा प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित मूल वाद का निस्तारण हो चुका है तब इस प्रार्थना पत्र मे कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला मुताबिक होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड